



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

दूरभाष/Phone : 91-7152-230902
ई-मेल/E-mail : registrar.mgahv@gmail.com

क्रमांक : 006/स्था/के.द./2021/ 05 / 744

दिनांक : 07.07.2021

परिपत्र

अभिलेखों के दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति के आलोक में विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों/विभाग प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड को व्यवस्थित करवाएँ तथा जो रिकार्ड अनावश्यक प्रतीत हो, के संबंध में भारत सरकार के Record Retention Schedule के दिशा-निर्देशों (लिंक https://darp.gov.in/sites/default/files/RRS_WC.pdf) के अनुरूप weeding out की कार्रवाई करें।

उपर्युक्त के साथ-साथ विभागीय अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है -

- 1) फाइलों, रजिस्टर, पुस्तक-बही और अन्य दस्तावेजों की अद्यतन सूची तैयार की जाए।
- 2) प्रत्येक फाइल में नोटशीट और पत्राचार के पृष्ठों को अलग-अलग नम्बर दर्ज किया जाए।
- 3) किसी भी पत्रावली में यथासंभव 25 नोटशीट और 200 से अधिक पत्राचार के पृष्ठों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित की जाए।
- 4) प्रत्येक नोटशीट के आगे-पीछे किसी एक पृष्ठ पर ऊपर दायीं और जिस फाइल से संबंधित नोटशीट है उस फाइल का नम्बर दर्ज किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़

(कादर नवाज़ खान)

कार्यकारी कुलसचिव

07/07/21

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/ प्रभारी
4. कुलसचिव कार्यालय
5. वित्त विभाग
6. लीला, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली।